

10. An employer's certificate/copy of the income tax return/income affidavit for the financial year preceding the grant or renewal of the award, as the case may be shall have to be submitted by the parent/guardian of the student along with the application for the scholarship.
11. In the event of a tie among two or more applicants for the award of the last available scholarship, every student involved in the tie will be awarded the scholarship even if the total number of scholarships exceeds the 25 % limit.
12. The scholarship holder must:
 - (a) obey all the regulations laid down in the Appendix - II regarding attendance
 - (b) appear in all the semester examinations except for illness or calamity in the family (to be supported by documents). In case of any breach the scholarship would be terminated.
13. Outstanding Institute and Hall dues, if any may be deducted at the source and the balance, if any, would be paid to the scholar.

Those students who satisfy the specified means criterion but are unable to satisfy the specified merit criterion may be granted exemption from the payment of tuition fees. The number of such students shall be restricted to 10% of the students admitted each year.

14. AMENDMENTS

Not with standing anything contained in the ordinance, the senate of the Indian Institute of Information Technology, Ranchi, reserves the right to modify/amend without notice, the curricula, Procedures, Requirements, Examinations, Admissions and rules pertaining to its Bachelor's Degree programmes.

[F. No. 52-2/2017-TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU, Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3812 (अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

सूची

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
---	भा. सू. प्रौ. सं. (सा.नि.भा.) अधिनियम 2017 के उद्धरण	103
1	भूमिका	104
2	शैक्षणिक कार्यक्रम और डिग्री /डिप्लोमा	104
3	शैक्षणिक कैलेंडर	105
4	प्रवेश	105
5	आवास आवश्यकताएं और छात्रावास	106
6	शाखा परिवर्तन	107
7	पंजीकरण	107

8	पाठ्यक्रम संरचना	108
9	उपस्थिति	109
10	अनुपस्थिति की अनुमति	109
11	अध्यापन और मूल्यांकन	110
12	ग्रेजुएशन की आवश्यकताएं और डिग्री प्रदान करना	113
13	अनुशासन का पालन	114
14	छात्रवृत्ति , इनाम , पुरस्कार और पदक	115

भा. सू. प्रौ. सं. (सा.नि.भा.) अधिनियम 2017 से उद्धरण

निम्नलिखित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 की संख्या 23) के उद्धरण हैं।

धारा 33: इस अधिनियम के प्रावधानों और विधियों के अधीन, प्रत्येक संस्थान के अध्यादेश निम्नलिखित मामलों में से किसी या सभी के लिए व्यवस्था कर सकते हैं: -

- (क) छात्रों का संस्थान में प्रवेश;
- (ख) संस्थान के सभी डिग्री और डिप्लोमा में अध्ययन के लिए निर्धारित किए जाने वाला पाठ्यक्रम;
- (ग) वे शर्तें जिनके तहत छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा में पाठ्यक्रम और संस्थान की परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा, और वे डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे;
- (घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, पदक और पुरस्कार दिए जाने की शर्तें;
- (ङ.) परीक्षण संस्थानों की नियुक्ति की शर्तें और रीति और कर्तव्य, परीक्षक और मध्यस्थ;
- (च) परीक्षाओं का संचालन;
- (छ) संस्थान के छात्रों में अनुशासन का रखरखाव; तथा
- (ज) कोई अन्य मामला जो अध्यादेशों द्वारा इस अधिनियम या संविधि द्वारा दिया जाना है या प्रदान किया जा सकता है।

धारा 34:

- (1) इस खंड में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अध्यादेश सीनेट द्वारा पारित किए जाएंगे।
- (2) सीनेट द्वारा जारी किए गए सभी अध्यादेश उस तिथि से लागू होंगे, लेकिन ऐसे जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश बोर्ड को जितनी जल्दी हो सके, प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर बोर्ड द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

(3) बोर्ड के पास ऐसे किसी भी अध्यादेश में संकल्प द्वारा संशोधन करने या रद्द करने की शक्ति होगी और इस तरह के अध्यादेश ऐसे संकल्प की तारीख से संशोधित या रद्द, जैसा भी मामला, होंगे।

1. भूमिका

- 1.1 संस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले सभी बी.टेक. कार्यक्रमों को इन बी.टेक. अध्यादेशों द्वारा शासित किया जाएगा।
- 1.2 इन कार्यक्रमों के तहत बी.टेक. अध्यादेश किसी भी नए अनुशासनों पर लागू होंगे जो भविष्य में पेश किए जा सकते हैं।
- 1.3 इन अध्यादेशों द्वारा निर्धारित सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद एक छात्र बी.टेक. डिग्री के लिए पात्र हो जाता है।
- 1.4 सीनेट घटक और इसके कार्य अधिनियम और संस्थान की संविधियों में परिभाषित किए गए हैं। सीनेट मुख्य रूप से संस्थान के शैक्षणिक मामलों से संबंधित होगा जिनमें शैक्षणिक स्टाफ, छात्र और निर्देशात्मक मामले शामिल हैं।
- 1.5 नियमों में बताई गए सभी बातों के बावजूद, सीनेट को समय-समय पर किसी भी नियम को संशोधित करने/ ढील देने का अधिकार है।
- 1.6 सीनेट यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम, जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत डिग्री / डिप्लोमा प्रदान करता है, संस्थान के अध्यादेशों के अनुरूप है।
- 1.7 सीनेट आमतौर पर अपनी स्थायी और विशेष समितियों और शैक्षणिक शाखाओं/प्रभागों/विभागों, अंतःविषय कार्यक्रमों और केंद्रों के माध्यम से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। सीनेट किसी भी प्रासंगिक या उचित समय पर अपनी किसी भी शक्ति को सीनेट अध्यक्ष या अपनी समितियों को सौंप सकता है।
- 1.8 सीनेट सर्वोच्च निकाय है जो संस्थान के सभी शैक्षिक मामलों के अनुमोदन/अनुसमर्थन के लिए शासी बोर्ड से सिफारिश करता है। सीनेट शैक्षणिक मामलों के सुचारू संचालन के लिए डीन (शिक्षाविदों) / प्रोफेसर-इन-चार्ज (शिक्षाविदों) को सशक्त बना सकता है।
- 1.9 संस्थान में बी.टेक.शाखाएँ निम्नलिखित होंगी:

- कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी (सीएसई)
- इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी (ईसीई)

2. शैक्षणिक कार्यक्रम और डिग्री/डिप्लोमा

- 2.1 सीनेट, संस्थान के अधिनियम और संविधियों में निर्धारित किए गए व्यापक लक्ष्यों के अनुसार एक नए कार्यक्रम की व्यवहार्यता और वांछनीयता के दृष्टिकोण से प्रत्येक प्रस्ताव की जांच करने के बाद संस्थान के शासी बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें देगा।
- 2.2 एक नया कार्यक्रम शुरू करने के प्रत्येक प्रस्ताव को सीनेट की सिफारिशों पर शासी बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा। यदि उक्त प्रस्ताव में कोई नई डिग्री / डिप्लोमा प्रस्तावित किया जा रहा है, तो बोर्ड सीनेट द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित कर सकता है।

- 2.3 न्यूनतम प्रवेश मानकों और प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि, चाहे वह मौजूदा हो या नया, की सलाह शासी बोर्ड द्वारा दी जाएगी।
- 2.4 सफल समापन के लिए आवश्यक प्रत्येक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को सीनेट की पूर्वस्वीकृति की आवश्यकता होगी। किसी भी मौजूदा कार्यक्रम के अनुमोदित पाठ्यक्रम में किसी भी बदलाव के लिए भी सीनेट की पूर्वस्वीकृति की आवश्यकता होगी।
- 2.5 सीनेट कार्यक्रम के सफल समापन के बाद एक छात्र को प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक डिग्री/डिप्लोमा के प्रारूप को मंजूरी देगा। डिग्री / डिप्लोमा के प्रारूप में किसी भी संशोधन के लिए भी सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

3. शैक्षणिक कैलेंडर

- 3.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र को लगभग अठारह सप्ताह की अवधि के दो सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है (प्रत्येक सेमेस्टर में कक्षाओं के लिए कम से कम सत्तर कार्य दिवस होंगे): ग्रीष्म सेमेस्टर के अलावा शरद सेमेस्टर (जुलाई-नवंबर) और एक बसंत सेमेस्टर (जनवरी-मई)। ग्रीष्म सेमेस्टर में परीक्षा अवधि को छोड़ कर लगभग छह कार्य सप्ताह शामिल होंगे।
- 3.2 शैक्षणिक सत्र के दौरान निर्धारित महत्वपूर्ण शैक्षणिक घटनाओं की सटीक तिथियां शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट की जाएंगी। विशेष रूप से, निम्नलिखित घटनाओं के लिए तिथि निर्दिष्ट की जाएगी:
ओरिएंटेशन, पंजीकरण, देरी से पंजीकरण, कक्षाओं की शुरुआत, पाठ्यक्रम जोड़ना और ड्राप करना, दस्तावेज जमा कराना, अनिवार्य परीक्षा की तारीख, ग्रेड्स जमा कराना, ग्रेड्स का मॉडरेशन, छुट्टियां, मिड सेमेस्टर ब्रेक।
- 3.3 शैक्षणिक कैलेंडर संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

4. प्रवेश

- 4.1 स्नातक पूर्व कार्यक्रम जिसके लिए भा. सू. प्रौ. सं. पुणे में प्रवेश किया जाना है की प्रत्येक शाखा में सीटों की संख्या, भा. सू. प्रौ. सं. पुणे की सीनेट द्वारा तय की जाएगी। समय-समय पर भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
- 4.2 किसी भी वर्ष में बी.टेक .कार्यक्रम में प्रवेश मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगा। वर्तमान में ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के दिशा निर्देशों के अनुसार संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य और एच एस सी परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर संबंधित वर्ष के लिए केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (सीएसएबी) द्वारा आयोजित परामर्श के माध्यम से होते हैं।
- 4.3 प्रत्येक छात्र, जो संस्थान के किसी भी कार्यक्रम में अनंतिम रूप से या अन्यथा प्रवेश लेता है, वह योग्यता डिग्री/अनंतिम प्रमाण पत्र और ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रतियां,
जैसा कि सीनेट द्वारा विहित किया जाए, की अनिवार्य प्रस्तुत करेगा। इन दस्तावेजों को निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।
- 4.4 किसी भी ऐसे छात्र का प्रवेश, अनंतिम या अन्यथा, जो निर्धारित तिथि तक या तो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है या प्रवेश के लिए किसी अन्य निर्धारित आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है, उसे सीनेट द्वारा रद्द किया जा सकता है।

- 4.5 किसी भी छात्र का प्रवेश सीनेट द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, यदि यह पाया जाता है कि छात्र ने कोई गलत जानकारी दी थी या प्रवेश के समय किसी प्रासंगिक जानकारी को दबा दिया था।
- 4.6 संस्थान किसी भी छात्र के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार रखता है और असंतोषजनक शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर या अनुशासनात्मक आधार पर उसके करियर के किसी भी चरण में उस छात्र/छात्रा की पढ़ाई को बंद करने के लिए कह सकता है।
- 4.7 संस्थान में हर वर्ग, जाति या धर्म या लिंग के व्यक्ति प्रवेश पा सकते हैं और छात्रों को दाखिला लेते समय धार्मिक आस्था या पेशे के रूप में कोई परीक्षण या शर्त नहीं लगाई जाएगी।
- 4.8 विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम का विवरण संस्थान द्वारा "अध्ययन के पाठ्यक्रम" नामक एक अलग दस्तावेज़ में प्रकाशित किया जाता है। यह ब्रोशर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए छात्रों के प्रत्येक बैच के लिए पूर्ण और नवीनी कृत पाठ्यक्रम है। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

5. आवासीय आवश्यकताएं और छात्रावास

- 5.1 संस्थान उपलब्धता के आधार पर आवास प्रदान करता है और छात्रावास आवंटित किए गए छात्रों को उसी छात्रावास में रहना होगा और उसका सदस्य बनना होगा। जो उन्हें पंजीकरण के समय सौंपा गया है। केवल असाधारण परिस्थितियों में छात्र को किसी दूसरे छात्रावास में स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है।
- 5.2 विशेष परिस्थितियों में, शैक्षणिक मामलों के निदेशक/डीन संस्थान परिसर में या संस्थान से उचित दूरी के भीतर अपने माता-पिता/अभिभावक के साथ रहने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि, ऐसा छात्र एक छात्रावास से जुड़ा होगा और उसे नियमानुसार सीट शुल्क और वार्डन द्वारा निर्धारित छात्रावास के स्थापना शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि, कोई कारण बताए बिना, किसी भी समय उचित समझे जाने पर, संस्थान के विवेक के अनुसार यह अनुमति वापस ली जा सकती है।
- 5.3 सभी छात्रों को छात्रावास के नियमों और विनियमों, जिन्हे समय-समय पर छात्रावास प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाए का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 5.4 अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के किसी भी छात्र को कोई विवाहित आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।
- 5.5 प्रत्येक छात्रावास के लिए, एक वार्डन / सहायक वार्डन होंगे। वार्डन कार्यालय के शैक्षणिक स्टाफ कर्मचारियों के सदस्य होंगे। ये नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जाएंगी। वार्डन छात्रावास के कुशलता पूर्वक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 5.6 छात्रावास में रहने वाला प्रत्येक छात्र हॉल मेस में शामिल होगा। हालांकि, वार्डन मेडिकल आधार पर निर्दिष्ट अवधि के लिए मेस से किसी छात्र को छूट दे सकता है।
- 5.7 संस्थान की छुट्टियों के दौरान, कुछ छात्रावासों के मेस जरूरत के आधार पर काम करेंगे। छुट्टी के दौरान छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को इनमें से किसी एक मेस में शामिल होना होगा। आमतौर पर किसी अन्य व्यवस्था की अनुमति नहीं होगी।
- 5.8 बी.टेक. अंतिम वर्ष के छात्रों को कैलेंडर वर्ष की 30 जून तक छात्रावास खाली करना होगा।
- 5.9 प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से फर्नीचर और उसे प्रदान की गयी अन्य वस्तुओं के सुरक्षित रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा और उस पर कमरे के अधिभोग के दौरान इरादतन या लापरवाही से हुई किसी भी क्षति या नुकसान के लिए शुल्क लिया जाएगा।
- 5.10 प्रत्येक छात्र को वार्डन द्वारा घोषित नियत तारीख तक मेस बिल का भुगतान करना होगा। समय पर बकाया जमा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप वार्डन के विवेक अनुसार जुर्माना या अन्य दंड हो सकते हैं। निर्धारित तिथि के भीतर बकाया राशि जमा करने में विफल छात्र का पंजीकरण तक रद्द किया जा सकता है।

- 5.11 छात्रावास में रहने वाले छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने, अपने शौक पूरे करने और छात्रावास के अन्य छात्रों को परेशान किए बिना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करते हुए उनके लिए सबसे सार्थक जीवन शैली का पालन करने का अधिकार होगा परन्तु, राजनीतिक चुनाव प्रचार निषिद्ध है।
- 5.12 आगंतुकों और विपरीत लिंग के व्यक्तियों द्वारा छात्रावास के आवासीय ब्लॉकों में प्रवेश करना सख्ती से प्रतिबंधित है।
- 5.13 छात्रावासों और सभी परिसरों में शराब, ड्रग्स या किसी अन्य नशीले पदार्थ का उपयोग सख्त वर्जित है।
- 5.14 प्रत्येक निवासी छात्रावास के सभी नियमों और विनियमों जो समय-समय पर लागू हो सकते हैं, का पालन करेगा। संस्थान दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा।

6. शाखा परिवर्तन

- 6.1 आम तौर पर अवर स्नातक कार्यक्रम की एक विशेष शाखा में भर्ती छात्र पाठ्यक्रम पूरा होने तक उसी शाखा में अध्ययन जारी रखेगा।
- 6.2 हालांकि, विशेष मामलों में संस्थान पहले दो सेमेस्टर के बाद सीएसएबी (CSAB) के माध्यम से दाखिल हुए छात्र को पढ़ाई की एक शाखा से दूसरे में बदलने की अनुमति दे सकता है। इस तरह के बदलाव की अनुमति, इसके बाद के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।
- 6.3 केवल उन छात्रों को दूसरे सेमेस्टर के बाद शाखा / कार्यक्रम में बदलाव के लिए योग्य माना जाएगा, जिन्होंने अपने पहले प्रयास में अपनी पढ़ाई के पहले दो सेमेस्टर में आवश्यक सभी सामान्य क्रेडिट को पूरा और उत्तीर्ण किया है।
- 6.4 शाखा / कार्यक्रम के परिवर्तन के लिए आवेदन पात्र छात्रों को निर्धारित प्रपत्र में भेजकर किया जाना चाहिए। शैक्षणिक खंड प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दूसरे सेमेस्टर के अंत में आवेदन मांगेगा और पूर्ण किए गए फॉर्म को अधिसूचना में निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक जमा करना होगा।
- 6.5 छात्र वरीयता के क्रम में अपनी पसंद की शाखा / कार्यक्रम जिसमें वे बदलाव करना चाहते हैं, चुन सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद विकल्पों में फेरबदल करने की अनुमति नहीं होगी।
- 6.6 शाखा कार्यक्रम का परिवर्तन कड़ाई से आवेदकों की योग्यता के अनुसार किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, दूसरे सेमेस्टर के अंत में प्राप्त सीजीपीए (CGPA) पर विचार किया जाएगा। टाई के मामले में, आवेदकों की जे ई ई रैंक पर विचार किया जाएगा।
- 6.7 आवेदकों को शाखा / कार्यक्रम में बदलाव की अनुमति कड़ाई से मेरिट के क्रम में दी जा सकती है, बशर्ते कि एक शाखा की छात्र संख्या मौजूदा छात्र संख्या से दस प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और स्वीकृत से दस प्रतिशत ऊपर नहीं जानी चाहिए।
- 6.8 उपरोक्त नियमों के अनुसार किए गए शाखा/कार्यक्रम के सभी परिवर्तन संबंधित आवेदकों के तीसरे सेमेस्टर से प्रभावी होंगे। इसके बाद किसी भी शाखा/कार्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 6.9 शाखा/कार्यक्रम के सभी परिवर्तन अंतिम और आवेदकों पर बाध्यकारी होंगे। किसी भी छात्र को किसी भी परिस्थिति में, प्रस्तावित शाखा/कार्यक्रम के परिवर्तन से इंकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. पंजीकरण

- 7.1 प्रत्येक छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में शैक्षणिक सत्र में अधिसूचित किए गए पंजीकरण के लिए तय किए गए दिन नियत संकाय सलाहकार के माध्यम से अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है। यदि वे

नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं या यदि प्रतिबंध अनुशासनात्मक कारणों से लगाए गए हैं तो एक या अधिक पाठ्यक्रमों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

- 7.2 समय सीमा के अनुसार पंजीकरण करने में विफल रहने वाले छात्रों को सेमेस्टर के कार्यक्रम से अलग माना जाएगा और भविष्य की कार्रवाई छात्र की स्थिति और इन अध्यादेशों के प्रावधानों पर आधारित होगी।
- 7.3 केवल उन्हीं छात्रों को पंजीकरण करने की अनुमति होगी जिन्होंने
- पिछले सेमेस्टर के सभी संस्थान, छात्रावास और पुस्तकालय का बकाया और जुर्माना (यदि कोई हो) चुका दिया है,
 - वर्तमान सेमेस्टर के लिए संस्थान और छात्रावास के सभी आवश्यक अग्रिम भुगतानों को जमा किया है, और
 - किसी भी विशिष्ट कारण से पंजीकरण से वंचित नहीं किया गया
- 7.4 पंजीकरण के दौरान निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:
- तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने से पहले एक छात्र को प्रथम वर्ष के सभी पाठ्यक्रम पास करने चाहिए।
इसी तरह, चौथे वर्ष के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने से पहले एक छात्र को दूसरे वर्ष के सभी पाठ्यक्रम पास करने होंगे।
 - आमतौर पर, एक सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत क्रेडिट की संख्या निर्धारित क्रेडिट के 70% से कम नहीं होनी चाहिए और 125% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 7.5 ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन पंजीकरण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम और परियोजना / संगोष्ठी आदि बताते हुए एक कोर्स पंजीकरण फॉर्म (सीआरएफ) भरना शामिल है, जो छात्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उस सेमेस्टर के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव करता है।
- 7.6 केवल वैध कारणों के लिए, शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट तिथि के बाद विलंब शुल्क के साथ देर से पंजीकरण की अनुमति दी जा सकती है। सभी परिस्थितियों में, पंजीकरण के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पंजीकरण पूरा होना चाहिए। संस्थान या छात्रावास में बकाया राशि रखने वाले छात्रों को पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7.7 छात्र संकाय सलाहकार की सहमति, संबंधित पाठ्यक्रम प्रशिक्षकों और शैक्षिक अनुभाग को सूचना के बाद पाठ्यक्रम को जोड़ और छोड़ सकते हैं बशर्ते इसे शैक्षणिक कैलेंडर में उल्लिखित तिथि के अनुसार और ऊपर खंड 6.3 में दी गई शर्तों के अनुसार किया जाता है।
- 8. पाठ्यक्रम संरचना**
- 8.1 पाठ्यक्रमों के शिक्षण की गणना को क्रेडिट के रूप में दिया जाएगा; क्रेडिट निम्नलिखित सामान्य पैटर्न के आधार पर पाठ्यक्रमों को सौंपा गया है:
- एक घंटे की अवधि के प्रत्येक व्याख्यान के लिए 1 क्रेडिट
 - एक घंटे के अवधि के प्रत्येक ट्यूटोरियल के लिए 1 क्रेडिट

iii) प्रत्येक प्रयोगशाला या प्रैक्टिकल या दो घंटे के प्रोजेक्ट सत्र के लिए 1 क्रेडिट

8.2 संस्थान की बी.टेक. डिग्री के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए, छात्र को एक कार्यक्रम विशेष के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य है।

8.3 किसी भी सेमेस्टर में आमतौर पर छह व्याख्यान आधारित पाठ्यक्रम और चार प्रयोगशाला आधारित पाठ्यक्रम से अधिक नहीं होंगे। हालांकि, विशेष मामलों में, छात्रों को अतिरिक्त व्याख्यान-आधारित पाठ्यक्रम लेने की अनुमति दी जा सकती है।

8.4 पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को मुख्यतः निम्नलिखित चार मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

i) मानविकी और समाज विज्ञान

ii) विज्ञान और गणित

iii) सामान्य अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम

iv) व्यवसायी कोर्स

8.5 किसी विभाग के कुल पाठ्यक्रम पैकेज में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

i) सामान्य अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम

ii) विभागीय कोर पाठ्यक्रम

iii) विभागीय इलेक्टिव पाठ्यक्रम

iv) संस्थागत इलेक्टिव पाठ्यक्रम

8.6 हर बी.टेक. कार्यक्रम में सीनेट द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के लिए एक पाठ्यक्रम होगा।

8.7 संकाय सलाहकार: छात्रों को अध्ययन के पाठ्यक्रमों की योजना बनाने में मदद करने के लिए और शैक्षणिक कार्यक्रम पर सामान्य सलाह प्राप्त करने के लिए, संबंधित विभाग प्रत्येक छात्र के लिए एक संकाय सलाहकार निर्धारित करेगा।

9. उपस्थिति

9.1 छात्रों के लिए सभी कक्षाओं (व्याख्यान, ट्यूटोरियल, प्रयोगशालाओं, व्यावहारिक, कार्यशालाओं) में भाग लेना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया है। छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक गतिविधियों (शिविरों और अन्य पूर्व-प्रचारित कार्यक्रमों सहित एनसीसी, एनएसएस, एनएसओ) की सभी कक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया है।

9.2 छात्रों को सभी कक्षाओं में भाग लेना होगा। एक छात्र को अंतिम सेमेस्टर परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है यदि कक्षा में उसकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और फिर उसे उस पाठ्यक्रम में "एफ" ग्रेड दिया जायेगा।

10. अनुपस्थिति की अनुमति

10.1 सेमेस्टर के दौरान अनुपस्थिति सभी पंजीकृत छात्रों के लिए मना है। हालांकि, विशेष कारणों से, एक छात्र को अध्यादेशों में किए गए प्रावधानों के अनुसार ऐसी अनुपस्थिति के लिए अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है

- 10.2 अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन को कार्यक्रम समन्वयक को संबोधित किया जाना चाहिए और यदि लागू हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ शैक्षणिक अनुभाग में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आमतौर पर कार्यक्रम समन्वयक की पूर्व स्वीकृति के बिना छुट्टी नहीं ली जानी चाहिए। इसके अलावा, अगर कोई छात्र छुट्टी पर कैंपस से बाहर जा रहा है, तो उसे छात्रावास के अधिकारियों को लिखित रूप से सूचित करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो होस्टल/संस्थान के अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है।
- 10.3 अध्यादेशों में अनुपस्थिति की अनुमति के लिए किए गए प्रावधान की अवमानना के बिना, एक सेमेस्टर के दौरान, एक सेमेस्टर में चार या अधिक सप्ताह की अवधि के लिए लगातार अनुपस्थिति होने पर उस सेमेस्टर में पाठ्यक्रम (ओं) से छात्रों का पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगा।
- 10.4 अनधिकृत अनुपस्थिति (यानी, बिना किसी अनुमति के अनुपस्थिति) के परिणामस्वरूप सीनेट द्वारा छात्र के कार्यक्रम को समाप्त किया जा सकता है।
- 10.5 छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी अवकाश के अपना कार्यक्रम पूरा करें। हालांकि, वास्तविक कारणों से, छात्रों को कार्यक्रम से अनुपस्थिति की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन इस तरह की अनुपस्थिति (याँ) आमतौर पर ब्रेक के साथ या इसके बिना दो सेमेस्टर से अधिक नहीं होगी, और इस ब्रेक को उक्त कार्यक्रम के लिए अनुमत अधिकतम पाठ्यक्रम अवधि में गिना जाएगा।
- 10.6 छात्रों को तत्काल पारिवार में हुई किसी मृत्यु जैसे विशेष अवसरों के लिए जाने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की छुट्टी किसी भी स्थिति में एक सप्ताह से अधिक नहीं होगी।
- 10.7 यदि छात्र ने सेमेस्टर के लिए पंजीकरण किया है जिसे बाद में सेमेस्टर की छुट्टी में परिवर्तित किया जाता है, कोई शुल्क वापसी स्वीकार्य नहीं है।
- 10.8 बीमारी का अवकाश जिसकी अधिकतम सीमा तीन हफ्ते है, उचित अनुमति लेने के बाद प्रदान की जाएगी। आपात स्थिति के कारण, बाद में और यदि आवश्यक हो तो अभिभावक द्वारा इस तरह की अनुमति ली जा सकती है।
- 10.9 यदि किसी सेमेस्टर में अनुपस्थिति की अवधि चार सप्ताह से अधिक हो जाती है, तो छात्र को अपने द्वारा पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों को छोड़कर सेमेस्टर को छोड़ना होगा। सीनेट केवल विशेष परिस्थितियों में और व्यर्थ हुए समय के लिए छात्र की पाठ्य क्षमता का पता लगाने के बाद लंबे समय तक अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकती है।
- 10.10 यह छात्र की जिम्मेदारी होगी कि वह छात्रावास के वार्डन को, जिसमें वह रहता है, और संबंधित प्रशिक्षकों को छुट्टी पर जाने से पहले उसकी अनुपस्थिति के बारे में बताए।
- 11. अध्यापन और मूल्यांकन**
- 11.1 शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी में होगा।
- 11.2 पाठ्यक्रम के संदर्भ में इसके इकाइयों के महत्व के साथ प्रत्येक पाठ्यक्रम को सीनेट द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुमोदन प्रक्रियाओं के अनुसार सीनेट की उपयुक्त स्थायी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी भी सेमेस्टर / ग्रीष्म कालीन सेमेस्टर के दौरान पेश किए जा सकते हैं।
- 11.3 प्रत्येक अनुमोदित पाठ्यक्रम, जब भी किसी भी सेमेस्टर में प्रस्तुत किया जायेगा, तो निर्धारित पाठ्यक्रम—प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षण सहायकों / ट्यूटर्स की आवश्यक संख्या की सहायता से आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षक प्रभारी परीक्षा

आयोजित करने, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और सेमेस्टर के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षक द्वारा प्रस्तुत ग्रेड सीनेट द्वारा नियुक्त मॉडरेशन समिति के समक्ष रखे जा सकते हैं। एक पाठ्यक्रम के लिए अंतिम ग्रेड अध्यक्ष, सीनेट से अनुमोदन के बाद घोषित किया जाएगा।

- 11.4 किसी सेमेस्टर/ग्रीष्म-सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की सूची को स्ट्रीम/डिवीजन/विभाग के संबंधित प्रमुख द्वारा आवश्यकताओं और सीनेट की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर/ग्रीष्म-सेमेस्टर की शुरुआत से पहले अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 11.5 प्रत्येक पाठ्यक्रम का संचालन पाठ्यक्रम प्रशिक्षक, ट्यूटर्स द्वारा किया जाता है (कुछ मामलों में शिक्षण सहायकों)। पाठ्यक्रम प्रशिक्षक पाठ्यक्रम नियोजन और पाठ्यक्रम चलाने, परीक्षाओं का संचालन करने, पंजीकृत छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, सेमेस्टर/ग्रीष्म कालीन सेमेस्टर के अंत में ग्रेड प्रदान करने और शैक्षणिक अनुभाग को ग्रेड प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।
- 11.6 किसी भी सेमेस्टर/ग्रीष्म-सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा पेश किए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए कोर्स इंस्ट्रक्टर, ट्यूटर (यदि कोई हो तो कोर्स इंस्ट्रक्टर के साथ) संबंधित विभागाध्यक्ष/स्ट्रीम/डिवीजन द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।
- 11.7 पाठ्यक्रम में छात्रों का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और अंत-सेमेस्टर परीक्षा, मध्य -सेमेस्टर परीक्षा, क्विज़, असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, प्रोजेक्ट, प्रयोगशाला कार्य (यदि कोई हो, आदि) में उनके प्रदर्शन पर आधारित है। पाठ्यक्रम की शुरुआत में कोर्स इंस्ट्रक्टर विभिन्न घटकों के वेटेज के साथ मूल्यांकन योजना की घोषणा करें। मध्य सेमेस्टर परीक्षा, अंत-सेमेस्टर परीक्षा और मेकअप परीक्षा (यदि कोई है) के लिए अनुसूची शैक्षिक अनुभाग द्वारा तैयार और घोषित की गई है।
- 11.8 प्रत्येक सेमेस्टर में, सामान्य रूप से दो मिड-सेमेस्टर परीक्षाएं (जिन्हें "माइनर परीक्षाएं" कहा जाता है) और एक एंड-सेमेस्टर परीक्षा ("मेजर परीक्षा" कहा जाता है) होगी। जहां तक संभव हो, सभी परीक्षाएं घोषित परीक्षा अवधि के दौरान आयोजित की जाएंगी।
- 11.9 विशेष कारणों से जो छात्र किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने में असफल होते हैं, उन्हें सीनेट द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मेक-अप परीक्षा (जिसे "पुनः परीक्षा" कहा जाता है) में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है।
- 11.10 विभिन्न कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं का निर्धारण सीनेट द्वारा किया जाएगा। आमतौर पर, चार साल के स्नातक कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकता 180 क्रेडिट के क्रम की होती है।
- 11.11 ग्रेड प्रदान करना : प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के अलावा अन्य कोर्स में जिसके लिए वह पंजीकृत है किसी पाठ्यक्रम में किसी छात्र को दिया जाने वाला ग्रेड, क्विज़, ट्यूटोरियल, प्रयोगशाला कार्य, कार्यशाला और उद्योग और आंतरिक कार्यों जैसा लागू हो, में उसके प्रदर्शन पर आधारित होगा; न्यूनतम दो माइनर और एक मेजर परीक्षण के अलावा। वेटेज के वितरण का निर्णय और घोषणा पाठ्यक्रम प्रशिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के लिए, पाठ्यक्रम समन्वयक प्रयोगशाला वर्ग में मूल्यांकन की एक विधि विकसित करेगा और इसकी घोषणा करेगा। जो ग्रेड प्रदान किए जा सकते हैं, और उनके समक्ष संख्यात्मक अंक तालिका 1 में सूची बद्ध हैं

तालिका 1: ग्रेड और संबद्ध ग्रेड अंक

ग्रेड	ग्रेड पॉइंट	प्रदर्शन का विवरण
O	10	श्रेष्ठ
A+	9	उत्कृष्ट
A	8	बहुत अच्छा

B+	7	अच्छा
B	6	औसत से अच्छा
C+	5	औसत
C	4	औसत से कम
F	0	अनुत्तीर्ण
I	---	अपूर्ण
NP	---	संपरीक्षा उत्तीर्ण
NF	---	संपरीक्षा अनुत्तीर्ण

11.12 प्रदर्शन संकेतक – छात्र के सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट एवरेज (एसजीपीए), सेमेस्टर के दौरान पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों में उसके शैक्षणिक प्रदर्शन का एक समग्र संकेतक है।

$$SGPA = \frac{\sum_{i=1}^n c_i p_i}{\sum_{i=1}^n c_i}$$

जहाँ c_i एक सेमेस्टर के i^{th} विषय में दिए गए क्रेडिट की संख्या है, जिसके लिए SGPA की गणना की जानी है, p_i i^{th} विषय में अर्जित समान ग्रेड बिंदु है,

जहाँ $i = 1, 2, n$, उस सेमेस्टर में विषयों की संख्या हैं। संचयी ग्रेड प्वाइंट एवरेज (CGPA) पिछले सेमेस्टर में लिए गए सभी पाठ्यक्रमों में एक छात्र के संचयी शैक्षणिक प्रदर्शन को इंगित करता है। इसकी गणना एस जी पी ए (SGPA) की गणना के तरीके से की जाती है जैसे।

$$CGPA = \frac{\sum_{j=1}^m SG_j NC_j}{\sum_{j=1}^m NC_j}$$

जहाँ NC_j , j^{th} सेमेस्टर में दिए गए कुल क्रेडिट की संख्या है, SG_j j^{th} सेमेस्टर में अर्जित SGPA है, जहाँ $j = 1, 2, m$, उस पाठ्यक्रम में सेमेस्टर की संख्या है।

11.13 जब भी किसी छात्र को किसी कोर्स को दोहराने या स्थानापन्न करने की अनुमति मिलती है, तो नया ग्रेड पत्र एस जी पी ए / सी जी पी ए की गणना में पुराने ग्रेड को बदल देता है, लेकिन पुराने ग्रेड उसके ग्रेड रिपोर्ट में दिखाई देते हैं।

11.14 एस जी पी ए या सी जी पी ए की गणना के उद्देश्य से, केवल उन पाठ्यक्रमों (माइनर और मेजर सहित) को ध्यान में रखा जाएगा, जिसमें छात्र को ग्रेड (जैसा कि तालिका 1 में उल्लिखित है) में से एक दी गयी है।

11.15 अर्जित क्रेडिट्स (ई सी) – उन पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट, जिसमें एक छात्र ने 'सी' (पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण ग्रेड) या उच्चतर ग्रेड को उसके द्वारा अर्जित क्रेडिट के रूप में गिना जाएगा। कोई भी कोर्स जिसमें एक छात्र ने एफ, आई या एन पी ग्रेड प्राप्त किया है, उसे उसके अर्जित क्रेडिट के लिए नहीं गिना जाएगा। क्रेडिट पाठ्यक्रमों के अलावा, निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों की संख्या में अनिवार्य ऑडिट पाठ्यक्रम होंगे।

अनिवार्य ऑडिट पाठ्यक्रमों को करने के लिए छात्र को उनमें 'एनपी' ग्रेड प्राप्त करना चाहिए। यह आवश्यक है कि एक छात्र अनिवार्य ऑडिट कोर्स पास करे। ऐसा करने में उसकी असफलता की स्थिति में, क्रेडिट पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी उसे पास घोषित नहीं किया जाएगा।

11.16 एक छात्र को केवल उस पाठ्यक्रम के लिए फिर से पंजीकरण करने की अनुमति है, जिसे उसने पढ़ा है और जिसमें उसने एफ, आई या एन एफ ग्रेड हासिल किया है।

11.17 आई/एनपी/एन एफ ग्रेड की आवश्यकताएं सीनेट द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होंगी।

11.18 संपरीक्षा पाठ्यक्रम - संस्थान छात्रों को पूरक शिक्षा के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम संपरीक्षा करने की ओर प्रोत्साहित करता है। पाठ्यक्रम की संपरीक्षा की अनुमति संबंधित पाठ्यक्रम समन्वयकों से ली जानी चाहिए। हालांकि, पाठ्यक्रम के संपरीक्षा की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई छात्र पाठ्यक्रम के न्यूनतम क्रेडिट को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लेता है। उपस्थिति और न्यूनतम आवश्यकताओं को संपरीक्षा पाठ्यक्रम प्रशिक्षक द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। पाठ्यक्रम को संपरीक्षा के लिए केवल पाठ्यक्रम की अंतिम तिथि जैसा कि संस्थान के शैक्षिक कैलेंडर में दी गयी है, तक की अनुमति है। हालांकि, संपरीक्षा पाठ्यक्रम को छोड़ना, सेमेस्टर में किसी भी समय औपचारिक आवेदन भरकर किया जा सकता है। संपरीक्षा पाठ्यक्रम के रूप में पंजीकृत पाठ्यक्रमों में प्राप्त ग्रेड को सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) या संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (सीजीपीए) की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा।

11.19 यदि किसी छात्र ने अपने बकाए का भुगतान नहीं किया है, या यदि उसके खिलाफ अन्य किसी कारण से अनुशासन हीनता का मामला चल रहा है, तो ग्रेड को रोका जा सकता है।

11.20 शैक्षिक रिकॉर्ड के संरक्षण के लिए समय सीमा सीनेट द्वारा तय की जाएगी।

12. स्नातक होने की आवश्यकताएं और डिग्री वितरण

12.1 5.0 से नीचे सीजीपीए वाला कोई भी छात्र स्नातक होने के लिए पात्र नहीं है।

12.2 एक छात्र को स्नातक होने का पात्र समझा जाएगा यदि उसने:

(क) सभी निर्धारित पाठ्यक्रम पास किये हैं;

(ख) न्यूनतम आवश्यक सीजीपीए प्राप्त किया है;

(ग) सीनेट द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए निवास की आवश्यकताओं सहित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य आवश्यकताओं को संतुष्ट किया है;

(घ) संबंधित शाखा/प्रभाग/विभाग द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं, यदि कोई हो, को संतुष्ट करता है;

(ङ.) सीनेट और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है।

इसके अलावा, छात्र को संस्थान को सभी देय राशि का भुगतान करना चाहिए, और सीनेट द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न इकाइयों से नो ड्यूज 'क्लीयरेंस' प्राप्त करना चाहिए, और, अनुशासन हीनता का कोई लंबित मामला नहीं होना चाहिए।

12.3 एक छात्र जो स्नातक की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है उसे आगामी दीक्षांत समारोह में उपयुक्त डिग्री/डिप्लोमा देने के लिए बी.ओ.जी को सीनेट द्वारा सिफारिश की जाएगी। डिग्री/डिप्लोमा को बोर्ड द्वारा डिग्री/डिप्लोमा देने को मंजूरी देने के बाद ही दिया जा सकता है।

- 12.4 असाधारण परिस्थितियों में, जहां स्नातक स्तर की आवश्यकताओं के उल्लंघन का किसी भी बाद के चरण में पता चलता है, सीनेट पहले से सम्मानित डिग्री / डिप्लोमा को वापस लेने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सिफारिश कर सकती है।
- 12.5 आमतौर पर एक छात्र लगातार आठ सेमेस्टर में स्नातक कार्यक्रम के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालांकि, एक छात्र को अधिकतम 14 नियमित सेमेस्टर में कार्यक्रम पूरा करना होगा, जिसमें से प्रत्येक में छात्र कम से कम एक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत होता है, कुल समय 8 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी सीमा पार की जाती है, तो कार्यक्रम में छात्र की योग्यता समाप्त हो जाएगी।

13. अनुशासन का पालन

- 13.1 प्रत्येक छात्र संस्थान के परिसर के भीतर और बाहर, दोनों तरह से, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के छात्र के अनुकूल व्यवहार करेगा। किसी भी छात्र से ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने की उम्मीद नहीं की जाती है, जो संस्थान की प्रतिष्ठा को नीचे ले जाये।
- 13.2 प्रत्येक छात्र संस्थान के संकाय सदस्यों, प्रशासकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति उचित सम्मान और शिष्टाचार दिखाएगा; और साथी छात्रों के साथ अच्छा पड़ोसी व्यवहार रखेगा। उन्हें परिसर के आगंतुकों और निवासियों पर भी ध्यान और सम्मान देना चाहिए।
- 13.3 कॉलेज के अंदर या उसके बाहर निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों को छात्रों द्वारा की गयी चूक को अनुशासनहीनता और आचार संहिता का घोर उल्लंघन के रूप में देखा जायेगा और दंडनीय होगा
- शिष्टाचार और अनुशासन की कमी; अशोभनीय आचरण (संस्थान के भीतर और बाहर दोनों);
 - संस्थान की संपत्ति या साथी छात्र के सामान को जानबूझकर क्षति पहुंचाने या निकालने का प्रयास;
 - पढाई में साथी छात्रों को परेशान करना;
 - परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधनों को अपनाना;
 - संस्थान के नियमों और विनियमों का उल्लंघन;
 - कंप्यूटर सिस्टम, हार्ड वेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों में हैकिंग
 - शोर और अनुचित व्यवहार और इसी तरह की अन्य अवांछनीय गतिविधियां
- 13.4 किसी भी छात्र द्वारा छात्रों की आचार संहिता का उल्लंघन, अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा और दंडस्वरूप, फटकार, अनुशासनात्मक परिवीक्षा, जुर्माना, परीक्षा से प्रतिबंधित करना, प्लेसमेंट सेवाओं के उपयोग से वंचित करना, ग्रेड रोकना, डिग्री रोकना, पंजीकरण रद्द करना और यहां तक कि संस्थान से बर्खास्तगी की जा सकती है।
- 13.5 संबंधित छात्रावास के वार्डन के पास छात्रावास के किसी भी निवासी के खिलाफ फटकार या जुर्माना लगाने या अन्य उपयुक्त उपाय करने का अधिकार होगा। जो संबंधित छात्रावास से संबंधित नियमों और विनियमों या आचार संहिता का उल्लंघन करता है।
- 13.6 यदि छात्र को परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करते पाया जाता है तो पाठ्यक्रम के प्रशिक्षक के पास परीक्षा से छात्र को निष्कासित करने की शक्ति होगी। पाठ्यक्रम प्रशिक्षक के पास कक्षा में दुर्व्यवहार करने का प्रयास करने वाले छात्र के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की शक्ति होगी।
- 13.7 रैगिंग किसी भी रूप में पूरी तरह से प्रतिबंधित है और किसी भी उल्लंघन को एक गंभीर अपराध माना जाएगा, जिससे परिणाम स्वरूप समय-समय पर लागू दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- 13.8 सीनेट रिपोर्ट की गई कथित दुर्व्यवहार की जांच करने और उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन कर सकती है। सीनेट इस समिति की सिफारिशों से निपटने के लिए प्रक्रिया भी

निर्धारित कर सकता है। एक छात्र या छात्रों के समूह द्वारा छात्रों की आचार संहिता का उल्लंघन, किसी भी छात्र / संकाय / संस्थान के किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस समिति को भेजा जा सकता है।

13.9 असाधारण परिस्थितियों में, अध्यक्ष, सीनेट एक बड़ी अनुशासन समिति को नियुक्त कर सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों की घोर अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के मामले में जो संस्थान की छवि को धूमिल कर सकती है, कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है।

13.10 संस्थान से बर्खास्तगी के लिए प्रस्तावित दोषी छात्र के मामले को अंतिम रूप से सीनेट के पास अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

13.11 कोई दोषी छात्र जो दंडित किए जाने से असंतुष्ट महसूस करता है, वह सीनेट के अध्यक्ष को अपील कर सकता है, अपील में स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए कि उसे सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए। सीनेट ऐसी अपील पर कार्रवाई निर्धारित करेगा।

13.12 कोई छात्र जो बड़े अपराध का दोषी पाया जाता है, उसे सीनेट द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अनुशंसित नहीं किया जा सकता है, भले ही सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं को संबंधित छात्र द्वारा संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो।

14. छात्रवृत्ति, इनाम, पुरस्कार और पदक

14.1 शैक्षणिक उत्कृष्टता, रचनात्मक नेतृत्व और छात्रों के समग्र विकास और विकास को बढ़ावा देने और पहचानने के लिए, सीनेट संस्थान द्वारा या दाताओं के अनुदान के माध्यम से स्थापित किए जाने के लिए पुरस्कार/पदक/छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। ऐसे छात्रवृत्ति/पुरस्कार/पदक की संस्था के लिए मानदंडों और शर्तों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

14.2 असाधारण परिस्थितियों में, जहां डिग्री प्रदान/मान्यता की शर्तों का सकल उल्लंघन है या बाद में शैक्षिक कदाचार पाया जाता है, सीनेट डिग्री और मान्यता वापस लेने के लिए शासी बोर्ड को सिफारिश कर सकता है।

[फा. सं. 52-2/2017-टीएस.1]

सुखबीर सिंह संधू, अपर सचिव (त.शि.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2019

S.O. 3812 (E).—In exercise of the powers conferred by section 33 read with section 34 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology (Public-Private Partnership) Act, 2017 (23 of 2017), the Senate with the approval of the Board of Governors, make the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology, Pune.

Index

Sr. No.	Title	Page No.
---	EXTRACTS FROM IIIT (PPP) ACT 2017	116
1.	INTRODUCTION	117
2.	ACADEMIC PROGRAMMES AND DEGREES/DIPLOMAS	117
3.	ACADEMIC CALENDAR	117
4.	ADMISSIONS	118

5.	RESIDENCE REQUIREMENTS & HOSTELS	118
6.	CHANGE OF BRANCH	119
7.	REGISTRATION	120
8.	COURSE STRUCTURE	120
9.	ATTENDANCE	121
10.	LEAVE OF ABSENCE	121
11.	TEACHING & EVALUATION	122
12.	GRADUATION REQUIREMENTS AND GRANT OF DEGREES	124
13.	CONDUCT OF DISCIPLINE	125
14.	SCHOLARSHIPS, PRIZES, AWARDS AND MEDALS	126

EXTRACTS FROM IIIT (PPP), ACT 2017

The following are the extracts from THE INDIAN INSTITUTES OF INFORMATION TECHNOLOGY (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) ACT, 2017(NO. 23 OF 2017)

Section 33: Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances of every Institute may provide for all or any of the following matters, namely: —

- (a) The admission of the students to the Institute;
- (b) The courses of study to be laid down for all degrees and diplomas of the Institute;
- (c) The conditions under which students shall be admitted to the degree or diploma courses and to the examinations of the Institute, and shall be eligible for degrees and diplomas;
- (d) The conditions of award of the fellowships, scholarships, exhibitions, medals and prizes;
- (e) The conditions and mode of appointment and duties of examining bodies, examiners and moderators;
- (f) The conduct of examinations;
- (g) The maintenance of discipline among the students of the Institute; and
- (h) Any other matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

Section 34: (1) Save as otherwise provided in this section, Ordinances shall be made by the

Senate.

(2) All Ordinances made by the Senate shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted, as soon as may be, to the Board and shall be considered by the Board at its next meeting.

(3) The Board shall have power by resolution to modify or cancel any such Ordinance and such Ordinance shall from the date of such resolution stand modified accordingly or cancelled, as the case may be.

1. INTRODUCTION

- 1.1 All B.Tech. programmes offered by the Institute shall be governed by these B.Tech. Ordinances.
- 1.2 The B.Tech. Ordinances shall be applicable to any new discipline(s) under these programmes that may be introduced in future.
- 1.3 A student becomes eligible for the award of the B. Tech degree after fulfilling all the academic requirements as prescribed by these Ordinances.
- 1.4 The constituents of the Senate and its functions are as defined in the Act and Statutes of the Institute. The Senate shall primarily be concerned with the academic affairs of the Institute encompassing academic staff, students and instructional matters.
- 1.5 Notwithstanding all that has been stated in the regulations, the Senate has the right to modify/relax any of the regulations from time to time.
- 1.6 The Senate shall ensure that every Academic programme, leading to the award of a Degree/Diploma as appropriate to the Programme, conforms to the Ordinances of the Institute.
- 1.7 The Senate shall discharge its duties and responsibilities generally through its Standing and Special Committees; and, Academic Streams/Divisions/Departments, Interdisciplinary programmes, and Centres. The Senate may delegate any of its powers to the Chairman Senate or to its Committees at any relevant or appropriate time.
- 1.8 The Senate is the apex body recommending all academic matters of the institute to the Board of Governance for approval/ratification. The Senate may empower the Dean(Academics)/Professor-in-charge(Academics) for smooth functioning of the academic matters.
- 1.9 The Institute shall have the following B. Tech branches:
 - Computer Science Engineering (CSE)
 - Electronics and Communication Engineering (ECE)

2. ACADEMIC PROGRAMMES AND DEGREES/DIPLOMAS

- 2.1 The Senate, after examining each proposal for introduction of a new Programme from the point of view of its viability and desirability in the light of broad goals as set forth in the Act & Statutes of the Institute, shall make suitable recommendations to the Board of Governors of the Institute.
- 2.2 The recommendations of the Senate on each proposal for introduction of a new Programme shall be considered by the Board of Governors. In case a new Degree/Diploma is being mooted in the said proposal, the Board may approve the proposed Programme recommended by the Senate for implementation.
- 2.3 The minimum admission standards and the duration of each Programme, whether existing or new, shall be advised by the Board of Governors.
- 2.4 The curriculum of each Programme, required for its successful completion, shall require prior approval of the Senate. Any change in the approved curriculum of any existing Programme shall also require prior approval of the Senate.
- 2.5 The Senate shall approve the format of each Degree/Diploma to be awarded to a student after successful completion of the Programme. Any revision in the format of a Degree/Diploma shall also require approval of the Senate.

3. ACADEMIC CALENDAR

- 3.1 Each Academic Session is divided into two semesters of approximately eighteen-week duration (with at-least seventy working days for classes in each semester): Autumn Semester (July-November) and a Spring Semester

(January-May) in addition to a Summer semester. The Summer Semester shall consist of about six working weeks, excluding the examination period.

3.2 The exact dates for the important academic events scheduled during the academic session shall be specified in the Academic Calendar. In particular, the dates for the following events shall be specified:

Orientation, Registration, Late Registration, Commencement of Classes, Adding and Dropping of Courses, Submission of Documents, Date of Essential Examinations, Submission of Grades, Moderation of Grades, Vacations, Mid Semester Breaks.

3.3 The Academic Calendar shall be displayed on the Institute's website.

4. ADMISSION

4.1 The number of seats in each branch of the undergraduate programme for which admission is to be made in IIIT Pune will be decided by the Senate of IIIT Pune. Seats are reserved for candidates belonging to Other Backward Classes, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and physically challenged candidates as per the decisions of Government of India from time to time.

4.2 Admission to the B. Tech programme in any year will be based as per guidelines framed by MHRD, Government of India. Currently these are based on performance in the Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counselling conducted by the Central Seat Allocation Board (CSAB) for the respective year.

4.3 Every student, admitted provisionally or otherwise to any Programme of the Institute, shall submit copies of the qualifying degree/provisional certificate and such other documents as prescribed by the Senate. These documents must be submitted by the prescribed date.

4.4 The admission, provisional or otherwise, of any student who either does not submit the required documents by the stipulated date or fails to meet any other stipulated requirement for admission can be cancelled by the Senate.

4.5 The admission of any student may also be cancelled by the Senate, at any later time, if it is found that the student had supplied some false information or suppressed some relevant information while seeking admission.

4.6 The Institute reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/ her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or on disciplinary grounds.

4.7 The Institute shall be open to persons of either sex and of whatever race, caste or class, and no test or condition shall be imposed as to religious belief or profession while admitting the students.

4.8 The details of the curricula for various academic programmes are published in a separate document named "Courses of Studies" by the Institute. This brochure is a one-stop up-to-date curriculum for each admitted batch of students for every program. The syllabi of various subjects shall be published separately on the website.

5. RESIDENCE REQUIREMENTS & HOSTELS

5.1 The institute provides the residential accommodation on availability basis and the students allotted shall be required to reside in, and be members of the hostel to which they are assigned at the time of registration. Only in exceptional circumstances a student may be permitted to change from one hostel to another.

5.2 Under special circumstances, the Director/Dean of Academic Affairs may permit a student to reside with his/her Parent/Guardian in the Institute Campus or within a reasonable distance from the Institute. Such a student shall, however, be attached to a hostel and will be required to pay seat rent according to rules, and Hostel establishment charges fixed by the Warden. However, this permission may be withdrawn at the discretion of the Institute, at any time considered appropriate by it, without assigning any reason.

- 5.3 All students must abide by the rules and regulations of the hostel as may be framed from time to time by the Hostel Management Committee and approved by the Senate.
- 5.4 No married accommodation shall be provided to any student of the undergraduate courses.
- 5.5 For each Hostel, there shall be a Warden/Assistant warden(s). The office of the Warden shall be held by the members of the academic staff of the Institute. These appointments shall be made by the Director. The Warden shall be responsible for managing the Hostel efficiently.
- 5.6 Every student residing in a Hostel shall join the Hall Mess. However, the Warden may exempt an individual student from the Mess on medical grounds for a specified period.
- 5.7 During Institute vacations, messes of a few Hostels will function, depending upon need. All students staying in the Hostels during vacation shall have to join one of these messes. No other arrangement will normally be permitted.
- 5.8 The passing out B. Tech. students will have to vacate hostel latest up to the date of 30th June of calendar year.
- 5.9 Every student shall be personally responsible for the safe up-keep of the furniture and other items supplied to him/her and will be charged for any damage or loss caused by desire or negligence during the occupancy of the room.
- 5.10 Every student must pay the mess bill by the due date, announced by the Warden. Failure to deposit the dues in time may result in fine or such other penalty as the Warden may deem fit. Even the registration of a student may be cancelled in case of failure to clear the mess dues within prescribed due date.
- 5.11 Hostel residents shall respect the right of each individual to express his/her ideas, pursue his/her interests and follow the style of life most meaningful to him/her without hurting /disturbing the other hostel residents. However, political campaigning is prohibited.
- 5.12 Visitors and persons of the opposite sex are strictly prohibited to enter the residential blocks of the Hostels.
- 5.13 Use of liquor, drugs, or any other intoxicants in the Hostels and all premises is strictly prohibited.
- 5.14 Every resident shall comply with all the rules and regulations of the Hostels as may be in force from time to time. The Institute shall take necessary actions against the defaulters.

6. CHANGE OF BRANCH

- 6.1 Normally a student admitted to a particular branch of the undergraduate programme will continue studying in that branch till completion.
- 6.2 However, in special cases the Institute may permit a student admitted through CSAB to change from one branch of studies to another after the first two semesters. Such changes will be permitted, in accordance with the provisions laid down hereinafter.
- 6.3 Only those students will be considered eligible for change of branch/programme after the second semester, who have completed and passed all the common credits required in the first two semesters of their studies in their first attempt.
- 6.4 Applications for a change of branch/programme must be made by intending eligible students in the prescribed form. The academic section will call for applications at the end of second semester of each academic year and the completed forms must be submitted by the last date specified in the notification.

- 6.5 Students may enlist their choices of branch/programme, in order of preference, to which they wish to change over. It will not be permissible to alter the choices after the application has been submitted.
- 6.6 Change of branch/programme shall be made strictly in order of merit of the applicants. For this purpose, the CGPA obtained at the end of the second semester shall be considered. In case of a tie, the JEE rank of the applicants will be considered.
- 6.7 The applicants may be allowed a change in branch/programme, strictly in order of inter se merit, subject to the limitation that the strength of a branch should not fall below the existing strength by more than ten percent and should not go above the sanctioned strength by more than ten percent.
- 6.8 All changes of branch/programme made in accordance with the above rules will be effective from the third semester of the applicants concerned. No change of branch/programme shall be permitted after this.
- 6.9 All changes of branch/programme will be final and binding on the applicants. No student will be permitted, under any circumstances, to refuse the change of branch/programme offered.

7. REGISTRATION

- 7.1 Every student is required to register for approved courses through the assigned Faculty Advisor at the commencement of each semester on the day fixed for such registration and notified in the Academic Calendar. The registration of one or more courses may be cancelled if they are found to violate some rules or if there are restrictions imposed due to disciplinary reasons.
- 7.2 Students failing to register by the deadline will have deemed to have withdrawn for the semester from the programme and the future course of action will be based on the student's status and the provisions of these Ordinances.
- 7.3 Only those students will be permitted to register who have
- i. cleared all Institute, Hostel and Library dues and fines (if any) of the previous semesters,
 - ii. paid all required advance payments of Institute and Hostel dues for the current semester, and
 - iii. not been debarred from registering on any specific ground.
- 7.4 During registration following conditions must be fulfilled:
- i. A student must pass all first year courses before registering for the third year courses. Similarly, a student must pass all second year courses before registering for the fourth year courses.
 - ii. Normally, the number of credits registered for during a semester should not be less than 70% of the prescribed credits and should not exceed 125%.
- 7.5 On-line/Off-line registration process involves filling up of a Course Registration Form (CRF) stating the courses and project / seminar etc., that the student proposes to complete during that semester as per the prescribed curriculum.
- 7.6 Only for valid reasons, late registration may be permitted till the date specified in the Academic Calendar, on payment of a late registration fee. In all circumstances, registration must be completed on or before the prescribed last date for registration. Students having outstanding dues to the Institute or a hostel shall not be permitted to register.
- 7.7 Students may add and drop course(s) with the concurrence of the Faculty Advisor, and under intimation to the concerned course instructors and the academic section provided this is done within the date mentioned in the Academic Calendar and as per the conditions given in clause 6.3 above.

8. COURSE STRUCTURE

- 8.1 Teaching of the courses shall be reckoned in credits; Credits are assigned to the courses based on the following general pattern:
- i. One credits for each lecture period of one hour

- ii. One credits for each tutorial period of one hour
- iii. One credit for each Laboratory or Practical or Project session of two hours.

8.2 In order to qualify for a B. Tech. degree of the Institute, a student is required to complete the credit requirement as prescribed in the curriculum for a particular programme.

8.3 No semester will normally have more than six lecture based courses and four laboratory courses. However, in special cases, students may be permitted to take extra lecture-based courses.

8.4 The course work requirements may be broadly divided into following four main groups of courses:

- i. Humanities and Social Sciences
- ii. Science and Mathematics
- iii. Common Engineering courses
- iv. Professional courses

8.5 The total course package for a department will consist of the following components :

- i. Common Engineering courses
- ii. Departmental Core courses
- iii. Departmental Elective courses
- iv. Institutional Elective courses

8.6 Every B. Tech. Programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate.

8.7 Faculty Advisor: To help the students in planning their courses of study and getting general advice on the academic programme, the concerned department will assign a Faculty Advisor to each student.

9. ATTENDANCE

9.1 Students are required to attend all the classes (Lectures, Tutorials, Laboratories, Practical, Workshops etc.) for which they have been registered. Students are required to attend all the classes of Extra Academic Activities (NCC, NSS, NSO including camps and other pre-publicized programmes) for which they have been registered.

9.2 Students will have to attend all classes. A student may be debarred from appearing in an end semester examination if his/her attendance falls below 75 percent and will then be awarded an "F" grade in that course.

10. LEAVE OF ABSENCE

10.1 Absence during the semester shall be discouraged for all registered students. However, for bonafide reasons, a student may be granted leave of absence as per provisions made for such absence in the Ordinances.

10.2 Applications for leave of absence should be addressed to the programme coordinator and submitted to the academic section with a medical certificate, if applicable. Leave usually must not be availed without prior approval of the programme coordinator. In addition, if a student is going out of campus on leave, she/he must inform the Hostel authorities in writing. Failing this the hostel/Institute authorities may initiate an action as deemed appropriate by them.

10.3 Without prejudice to the provision made for leave of absence in the Ordinances, absence for a period of four or more weeks at a stretch, during a semester, shall result in automatic cancellation of the registration of students from the course(s) in that semester.

10.4 Unauthorized absence (i.e., absence without due permission) may, result in termination of the student's programme by the Senate.

- 10.5 Students are expected to complete their Programme without any break. However, for bonafide reasons, students may be granted leave of absence from the Programme. But such absence(s) shall ordinarily not exceed two semesters with or without break, and this break will be counted towards the maximum course duration permitted for the said Programme.
- 10.6 Students may be granted permission to leave for special occasions like death in the immediate family circle. Such leave will in no case exceed one week.
- 10.7 No fee refund is admissible if the student has registered for the semester which is converted to a semester leave later.
- 10.8 Absence due to illness not exceeding three weeks will be allowed after taking due permission. Due to emergencies, such permission may be taken later, and by the guardian if necessary.
- 10.9 If the period of absence in a semester exceeds four weeks, the student will have to drop the semester by dropping all courses he /she has registered for. The Senate may allow longer absences only in special circumstances and only after ascertaining the student's ability to make up for the lost time.
- 10.10 It will be the responsibility of the student to intimate the Warden of the hostel in which he/she is residing, and the concerned instructors regarding his/her absence before proceeding on leave.

11. TEACHING & EVALUATION

- 11.1 The medium of instruction shall be the English Language.
- 11.2 Each course, along with its weightage in terms of units, shall require approval of the appropriate Standing Committee of the Senate according to the course approval procedures laid down by the Senate. Only approved courses can be offered during any semester/summer semester.
- 11.3 Each approved course, whenever offered in any given semester, shall be conducted by the assigned Course-instructors with the assistance of the required number of teaching assistants/Tutors. The Instructor-in-Charge shall be responsible for conducting the course, holding the examinations, evaluating the performance of the students and awarding the grades at the end of the semester. The grades submitted by the Course Instructor may be put before the moderation committee appointed by the Senate. The final grades for a course shall be declared after the approval from the Chairman, Senate.
- 11.4 The list of all courses to be offered by a department, during any semester/summer-semester shall be finalized, before the beginning of the semester/summer-semester by the concerned Head of the Stream/Division/Department, taking into consideration all the requirements and the recommendations of the Senate.
- 11.5 Each course is conducted by the course instructor (in some cases with the assistance of the teaching assistants/tutors). The course instructor is responsible for planning and running the course, conducting the examinations, evaluating the performance of registered students, awarding the grades at the end of semester/summer semester and submitting the grades to the Academic Section.
- 11.6 The Course Instructors, Tutors (if any with course instructor) for all the courses to be offered by a department, during any semester/summer-semester, shall be assigned by the concerned Head of Department/Stream/Division.
- 11.7 The evaluation of students in a course is a continuous process and is based on their performance in end-semester examination, mid-semester examination, quizzes, assignments, tutorials, projects, laboratory work (if any), etc. The course instructor shall announce the evaluation scheme along with the weightage for various components at the beginning of the course. The schedule for the mid-semester examination, end-semester examination and make-up examination (if any) is prepared and announced by Academic Section.

- 11.8 In each semester, there shall normally be two Mid -Semester Examinations (called as “Minor examinations”) and one End-Semester Examination (called as “Major Examination”). As far as possible, all the examinations shall be conducted during the announced examination periods.
- 11.9 Students who fail to appear in any examination, due to bonafide reasons, may be permitted to appear in the Make-up Examination (called as “Re-examination”) as per the procedures laid down by the Senate.
- 11.10 The minimum credit requirements for various programmes shall be decided by the Senate. Normally, for four years Under Graduate programme the credit requirement is of the order of 180 credits
- 11.11 Award of Grades: The grade awarded to a student in a course, other than laboratory course, for which he/she is registered, will be based on his/her performance in quizzes, tutorials, laboratory work, workshop and industry and home assignments, as applicable; in addition to a minimum of two minor tests and one major test. The distribution of weightage is to be decided and announced by the course instructor. For laboratory courses, the course coordinator will evolve a method of evaluation and announce it in the first laboratory class. The grades that can be awarded, and their equivalent numerical points, are listed in Table 1.

Table 1: Grade and associated grade points

Grade	Grade Point	Description of Performance
O	10	Outstanding
A+	9	Excellent
A	8	Very Good
B+	7	Good
B	6	Above Average
C+	5	Average
C	4	Below Average
F	0	Fail
I	---	Incomplete
NP	---	Audit Pass
NF	---	Audit Fail

- 11.12 Performance Indices - The Semester Grade Point Average (SGPA) of a student is an indicator of her/his overall academic performance in all the courses she/he registers for during the semester.

$$SGPA = \frac{\sum_{i=1}^n c_i p_i}{\sum_{i=1}^n c_i}$$

where c_i is the number of credits offered in the i^{th} subject of a semester for which SGPA is to be calculated, p_i is the corresponding grade point earned in the i^{th} subject, where $i = 1, 2, \dots, n$, are the number of subjects in that semester. The Cumulative Grade Point Average (CGPA) indicates the cumulative academic performance of a student in all the courses taken including those taken in the previous semesters. It is computed in the same manner as SGPA.

$$CGPA = \frac{\sum_{j=1}^m SG_j NC_j}{\sum_{j=1}^m NC_j}$$

where NC_j is the number of total credits offered in the j^{th} semester, SG_j is the SGPA earned in the j^{th} semester, where $j = 1, 2, \dots, m$, are the number of semesters in that course.

- 11.13 Whenever, a student is permitted to repeat or substitute a course, the new letter grade replaces the old letter grade in the computation of SGPA/CGPA, but old grades appear in her/his Grade Report.
- 11.14 For the purpose of calculation of SGPA or CGPA, only those courses (including minors and majors projects) will be taken into account in which the student has been awarded one of the grades (as mentioned in Table 1).

- 11.15 Earned Credits (EC) - The credits for the courses in which a student has obtained 'C' (minimum passing grade for a course) or a higher grade will be counted as credits earned by him/her. Any course in which a student has obtained F, I or NP grade will not be counted towards his/her earned credits. In addition to the credit courses, specified number of courses shall be compulsory audit courses. In order to clear compulsory audit courses, a student must get an 'NP' grade to clear them. It is essential that a student pass the compulsory audit course. In the event of his/her failure to do so, he/she shall be not declared pass even though he/she has cleared the credit courses.
- 11.16 A student is permitted to re-register only for the course, which he/she has undergone and in which he/she has secured an F, I or NF grade.
- 11.17 The requirements for I NP/NF grades will be as per the criteria laid down by the Senate.
- 11.18 Auditing of Courses - The Institute encourages students towards supplementary learning by auditing for additional courses. The permission to audit a course has to be taken from the concerned course coordinators. However, the auditing of course(s) is permitted only after a student has satisfactorily completed minimum credit of the course work. The audit requirements in terms of attendance and some minimal work shall be specified by the course instructor. Auditing of a course is permitted only up to the last date for adding of courses, as given in the Institute's academic calendar. Dropping of an audit course, however, can be done at any time of the semester by filling a formal application for the same. The grades obtained in the courses registered as audit course shall not be counted for the calculation of the Semester Grade Point Average (SGPA) or the Cumulative Grade Point Average (CGPA).
- 11.19 The grades of a student may be withheld if she/he has not paid her/his dues, or if there is a case of indiscipline pending against her/him, or for any other reason.
- 11.20 The time limits for preservation of academic records shall be decided by the Senate.

12. GRADUATION REQUIREMENTS AND GRANT OF DEGREES

- 12.1 Any student with a CGPA below 5.0 is not eligible for graduation.
- 12.2 A student shall be deemed to have completed the graduation requirements if the student has:
- (a) passed all the prescribed courses;
 - (b) attained the minimum required CGPA;
 - (c) satisfied the minimum academic and other requirements including residence requirements for the academic programme prescribed by the Senate;
 - (d) satisfied all the requirements specified by the concerned stream/division/department, if any;
 - (e) satisfied all the requirements specified by the Senate and the Ordinances.

In addition, the student should have paid all the dues to the Institute, and should have obtained 'No Dues' clearance from various units as specified by the Senate, and, should have no pending case of indiscipline.

- 12.3 A student who has completed all the graduation requirements shall be recommended by the Senate to the BOG for the award of appropriate Degree/Diploma in the ensuing Convocation. A Degree/Diploma can be awarded only after the Board has approved the award of the Degree/ Diploma.
- 12.4 Under exceptional circumstances, where gross violation of the graduation requirements is detected at any later stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw the Degree/Diploma, already awarded.
- 12.5 Normally a student shall complete all the requirements for the undergraduate programme in eight consecutive semesters. However, a student must complete the programme in at most 14 regular semesters in each of which the student registers for at least one course, the total time elapsed must not exceed 8 years. If either of these limits is crossed, the student's studentship in the programme will be terminated.

13. CONDUCT OF DISCIPLINE

- 13.1 Each student shall conduct himself, both within and outside the campus of the Institute, in a manner befitting a student of an Institute of National importance. No student is expected to indulge in any activity which tends to bring down the prestige of the Institute.
- 13.2 Each student shall show due respect and courtesy to the faculty members, administrators, officers and employees of the Institute; and good neighborly behavior to fellow students. They should also pay due attention and courtesy to the visitors and residents of the campus.
- 13.3 The following additional acts of omission and/or commission by the students within or outside the precincts of the College shall constitute gross violation of code of conduct punishable as indiscipline
- i. Lack of courtesy and decorum; unbecoming conduct (both within and outside the Institute);
 - ii. willful damage or removal of Institute property or belongings of a fellow student;
 - iii. disturbing fellow students in their studies;
 - iv. adoption of unfair means during examinations;
 - v. breach of rules and regulations of the Institute;
 - vi. Hacking in computer systems, either hardware or software or both
 - vii. noisy and unseemly behavior and similar other undesirable activities
- 13.4 Violation of the Code of Conduct of students by any student, shall invite disciplinary action and may merit punishment, such as reprimand, disciplinary probation, fine, being debarred from examination, debarring the use of placement services, withholding of grades, withholding of degree, cancellation of registration and even dismissal from the Institute.
- 13.5 The Warden of the concerned Hostel shall have power to reprimand or impose fine or take any other such suitable measure against any resident of the Hostel who violates either the rules and regulations or the Code of Conduct pertaining to the concerned Hostel.
- 13.6 The Course Instructor of a course shall have the power to debar a student from the examination in which the student is detected to be using unfair means. The Course Instructor shall have the power to take appropriate action against a student who attempts to misbehave in the class.
- 13.7 Ragging, in any form, is strictly prohibited and any violation shall be considered as a serious offence, leading to appropriate penal action as laid down from time to time by the institute.
- 13.8 The Senate may constitute a Standing Committee to investigate the alleged misdemeanor reported and recommend a suitable course of action. The Senate may also prescribe the procedure for dealing with the recommendations of this Committee. Violation of the Code of Conduct of students, by a student or a group of students can be referred to this Committee by any student/faculty /any other functionary of the Institute.
- 13.9 In exceptional circumstances, the Chairman, Senate may appoint a Special Disciplinary Committee to investigate and/or recommend the action to be taken in case of any act of gross indiscipline involving a large number of students which may tarnish the image of the Institute.
- 13.10 The case of a defaulting student recommended for dismissal from the Institute shall ordinarily be referred to the Senate for its final decision.
- 13.11 A defaulting student who feels aggrieved with the punishment awarded may prefer an appeal to the Chairman, Senate stating clearly the reasons why the punishment should not be awarded. The Senate shall prescribe the procedure to process such an appeal.

13.12 A student who is found guilty of some major offence may not be recommended by the Senate to the Board of Governors for the award of a degree/diploma/certificate even if all the academic requirements have been satisfactorily completed by the concerned student.

14. SCHOLARSHIPS, PRIZES, AWARDS AND MEDALS

14.1 To promote and recognize academic excellence, constructive leadership and overall growth and development of students, the Senate shall award Prizes/Medals/Scholarships to be instituted either by the Institute or through endowment /grants of donors. The norms and conditions for the institution of such Scholarships/ Prizes/Medals shall require approval of the Board of Governors.

14.2 Under exceptional circumstances, where gross violation of the conditions of the Awards/recognition or academic misconduct is detected at a later stage, the Senate may recommend to the Board of Governors to withdraw the award and recognition.

[F. No. 52-2/2017-TS.I]

SUKHBIR SINGH SANDHU. Addl. Secy. (TE)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2019

का.आ. 3813(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक -निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 (2017 का 23), की धारा 34 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

1. शीर्षक

इन नियमों को "विकल्प आधारित साख प्रणाली" कहा जाएगा। संक्षेप में, इसे "वि.आ.सा.प्र. विनियम" कहा जाता है।

2. स्कोप

2.1 भा.सू.प्रौ.सं. तिरुचिरापल्ली के सभी संकायों द्वारा प्रस्तावित सभी अवर स्नातक (यूजी) कार्यक्रमों के लिए ये विनियम लागू होंगे।

2.2 ये नियम काफी व्यापक हैं और इसमें महत्वपूर्ण शब्दों, महत्वपूर्ण अवधारणाओं, गणना के तरीकों, विभिन्न बोर्डों और समितियों की भूमिका और मूल्यांकन प्रणाली शामिल हैं।

3. परिभाषाएं: विकल्प आधारित साख प्रणाली (वि.आ.सा.प्र.): वि.आ.सा.प्र. सीखने की एक लचीली प्रणाली है जो छात्रों को निम्न की अनुमति देती है

1. अपनी गति से सीखना,
2. भा.सू.प्रौ.सं. तिरुचिरापल्ली के विभागों द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला से इलेक्टिव विषय चुनना।
3. सीखने में अंतर-विषयक दृष्टिकोण अपनाना और
4. उपलब्ध संकाय की विशेषज्ञता का सर्वोत्तम उपयोग करना।

3.1 कार्यक्रम: कार्यक्रम का अर्थ वह डिग्री कार्यक्रम जो बी.टेक डिग्री कार्यक्रम है।

3.2 सेमेस्टर: सेमेस्टर का अर्थ है, 90 कार्यदिवसों में वितरित संपर्क घंटों की अवधि, 12 सप्ताह में फैली हुई प्रत्येक सप्ताह की पाँच दिनों की अवधि सेमेस्टर को विषम सेमेस्टर या सम सेमेस्टर के रूप में जाना जाएगा। जुलाई से दिसंबर तक का